भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3454** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 21 मार्च, 2025/ 30 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है

पोत परिवहन कंटेनरों की कमी

† 3454. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित देश भर में निर्यातकों को वर्तमान में बढ़ती माल ढुलाई लागत और पोत परिवहन में विलंब से निपटने के लिए क्या विशिष्ट उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा पोत परिवहन कंटेनरों की कमी और अनुपलब्धता, जिससे व्यापार पर काफी प्रभाव पड़ा है, को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए/ उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) सरकार प्रमुख पत्तनों पर भीड़भाड़ की समस्या का किस प्रकार समाधान कर रही है और सुचारू परिचालन के लिए पत्तन अवसंरचना और संभारतंत्र में सुधार करने के लिए क्या योजनाएं/ तंत्र बनाएं गए हैं;

(घ) क्या उन निर्यातकों को कोई सहायता प्रदान की जा रही है जो बढ़ी हुई लागत और विलंब से जूझ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि ये चुनौतियां वैश्विक बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करें;

(च) क्या विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच पोत परिवहन और संभारतंत्र संबंधी इन मामलों से निपटने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन प्रयासों की प्रभावकारिता की निगरानी किस प्रकर की जा रही है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (छ): तमिल नाडु समुद्री बोर्ड (टीएनएमबी) के अंतर्गत गैर-महापत्तनों के माध्यम से कार्गो प्रचालन के लिए माल ढुलाई लागत बाजार की अपेक्षा काफी प्रतिस्पर्धी है। इसके अतिरिक्त, टीएनएमबी के तहत गैर- महापत्तन, शिपिंग कंटेनर की कमी अथवा अनुपब्लधता से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना नहीं करते।

महापत्तनों में संभार-तंत्र के सरलीकरण के लिए, नए बर्थों, टर्मिनलों और पार्किंग प्लाजा के निर्माण, मौजूदा बर्थों और टर्मिनलों के यांत्रिकीकरण/ आधुनिकीकरण/ अनुकूलन, डिजिटलीकरण के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरलीकरण, रेल और सड़क के माध्यम से पश्चभूमि की संपर्कता का विस्तार आदि विभिन्न्न कदम उठाए गए हैं।

****